राजस्थान–सरकार

कार्यालय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

Phone - 0294-2428721-24, Fax No. 0294-2411417, E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ.6( )लेखा / सीटीएडी / क्रय / EOI / 2020–21 / 7543-46 दिनांक : 26/02/2021

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

कौशल विकास योजना के तहत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु MSDE के कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के आधार पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को बढाने और विविधता लाने के उददेश्य से इच्छुक प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों से दिनांक 16.03.2021 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त प्रस्तावों में से प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित एजेन्सियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट http://www.tad.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in (राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल) पर देखा जा सकता है।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थः– 7543-46 / 26.02.2021

1. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. केशियर, कार्यालय हाजा।

अति. आयुक्त – प्रथम
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

Phone - 0294-2428721-24, Fax No. 0294-2411417, E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

कौशल विकास योजना के तहत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा जनजातीय युवाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने एवं उद्योगों में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करवाये जाते हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) द्वारा कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स जारी किए गए हैं। इस EOI द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के आधार पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को बढाने और विविधता लाने के उददेश्य से इच्छुक प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने किये जाते है। प्राप्त प्रस्तावों में से प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित एजेन्सियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

क्र.सं.	मापदण्ड	शर्तें / प्रावधान
1	न्यूनतम पात्रता मानदण्ड	1. एजेन्सी एक पंजीकृत प्रोपराईटर / पार्टनरशिप फर्म / प्राईवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी / सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन / राजकीय संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई / विश्वविद्यालय / तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान होनी चाहिए जिनको संबंधित बोर्ड अथवा काउन्सिल की संबद्धता या मान्यता प्राप्त हो। 2. एजेन्सी का प्रशिक्षण केन्द्र एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के साथ प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत हो। 3. एजेन्सी का प्रशिक्षण केन्द्र वर्तमान में आरएसएलडीसी के साथ प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो। 4. आवेदक पिछले तीन वर्षो से अनुसूचित उपयोजना क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण में लगातार सक्रिय और कार्यरत होना चाहिए। 5. पिछले तीन वित्तीय वर्षो में कौशल विकास और प्लेसमेन्ट से जुडे कार्यक्रमों से रूपये 15.00 लाख अथवा अधिक का औसत वार्षिक कारोबार किया हो। 6. पिछले तीन वित्तीय वर्षो में कौशल विकास और प्लेसमेन्ट से जुडे कार्यक्रमों के माध्यम से कम से कम 500 युवाओं को प्रशिक्षण और कम से कम 250 युवाओं को रोजगार प्रदान किया हो। 7. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। इस हेतु अनुलग्नक–6 के अनुसार एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 8. आवेदक को प्रस्ताव के साथ कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के दृष्टिगत निम्नलिखित स्वघोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है– 1. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान, फर्नीचर, उपकरण प्रशिक्षण में उपयोगी सामग्री कच्चा माल बिजली पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्था करना । 2. प्रशिक्षण के बाद जहां कहीं भी उपलब्ध हो सके वेतन आधारित रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए युवाओं को काउन्सिलिंग उपलब्ध कराना। 3. प्रशिक्षण के हर बैच के लिए वर्दी के एक सेट की व्यवस्था करना।

		4. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम एवं योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना। कौशल विकास केन्द्र तथा हॉस्टल (यदि लागू हो) में दैनिक उपस्थिति के लिए आधार एनबेल्ड बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टम स्थापित करना। 5. संबंधित सेक्टर स्किल काउन्सिल के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं के मूल्यांकन एवं प्रमाणन की व्यवस्था करना। 6. कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आयोजित किए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए व्यय सहित समस्त रिकॉर्ड न्यूनतम 3 वर्ष के लिए बनाये रखना। अनुलग्नक–7 के अनुसार एक स्व–घोषणा पत्र आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत करें।
2	प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क	प्रशिक्षण प्रदाताओं को राशि 2000/– रूपये का डी.डी./बैंकर्स चैक आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के नाम से प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क देना होगा। प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा।
3	घोषणा–पत्र	आवेदकों को वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के अनुसरण में एक घोषणा–पत्र (अनुलग्नक–9 अनुसार) अनिवार्यतः जमा कराना होगा।
4	सुरक्षा जमा राशि	शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को एमओयू पर हस्ताक्षर करते समय टीएडी विभाग के पक्ष में कार्यादेश के 2.5 प्रतिशत की सिक्यूरिटी डिपोजिट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुरक्षा जमा राशि प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आवेदक को लौटा दी जायेगी अथवा इसका भुगतान में समायोजन किया जा सकेगा। यदि प्रशिक्षण प्रदाता दिए गए समय में प्रशिक्षण आयोजन में असफल रहता है अथवा एनएसडीसी के कॉमन कोस्ट के दिशा निर्देश (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार कार्य करने में या अनुपालना करने में विफल रहता है तो उस प्रशिक्षण प्रदाता की सुरक्षा राशि को जब्त किया जायेगा।
5	परियोजना अवधि	एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष अथवा अन्तिम प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने तक
6	वित्त पोषण पेटर्न	प्रशिक्षण हेतु भुगतान एनएसडीसी के कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अनुसार निम्न प्रकार से किया जायेगा – 50 प्रतिशत – प्रशिक्षण प्रारंभ करने एवं प्रतिभागियों की सूची प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत – प्रशिक्षण समाप्ति तथा मूल्यांकन के पश्चात प्रमाण पत्र जारी होने पर
7	प्रस्ताव जमा कराने की विधि	उपरोक्त पात्रता शर्तो को पूरा करने वाली इच्छुक एजेन्सी विस्तृत प्रस्ताव दिनांक 16 मार्च 2021 को कार्यालय समय तक आयुक्तालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1 सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.) में प्रस्तुत कर सकती हैं। प्रस्ताव हार्डकॉपी में एवं EOI में दिए गए चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
8	सामान्य निर्देश	1. आवेदक को EOI के साथ प्रस्तुत किये जाने समस्त दस्तावेज व अनुलग्नक निर्धारित प्रारूप में समस्त सूचना/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये जाना चाहिए। 2. आवेदक EOI में अपेक्षित समस्त अर्हताओं एवं दस्तावेजों का स्वयं सत्यापन कर समाधान कर ले कि वह इस बोली हेतु समस्त पात्रताएं पूर्ण करता है। किसी भी स्तर पर गलत सूचनाएं, मिथ्या दस्तावेज आदि पाए जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दी जाएगा। 3. किसी विवाद की स्थिति आवेदन नियमानुसार प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। समस्त विधिक कार्यवाहियों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा। 4. प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क/घोषणा–पत्र के बिना प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र सूची

क्र. सं.	दस्तावेज विवरण	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1	**अनुलग्नक–1** मुख्य पत्र का प्रारूप		
2	**अनुलग्नक–2** आवेदक का विवरण मय आवश्यक दस्तावेज		
	प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/प्राईवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सोसाइटी/ट्रस्ट/एसोसिएशन/सरकारी संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्रो की इकाईयो/विश्वविद्यालयो/उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जिसमें संबंधित बोर्ड या परिषद की मान्यता या मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान शामिल है।		
	पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति		
	व्यापार लाईसेंस/बिक्री कर पंजीकरण/आईटी पंजीकरण(यदि कोई हो) स्वहस्ताक्षरित प्रति		
	जीएसटी पंजीकरण स्वहस्ताक्षरित प्रति		
3	**अनुलग्नक–3** अंकेक्षित वित्तीय विवरण (सीए द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक कारोबार और निवल मूल्य)		
	पिछले 3 वित्तीय वर्षो की बैलेसशीट		
	वित्तीय वर्ष 2017–18 (यदि लागू हो)		
	वित्तीय वर्ष 2018–19		
	वित्तीय वर्ष 2019–20		
4	**अनुलग्नक–4** जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सक्रिय कौशल विकास केन्द्रो का विवरण		
5	**अनुलग्नक–5** प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण		
6	**अनुलग्नक–6** ब्लैकलिस्ट नही किए जाने का शपथ–पत्र		
7	**अनुलग्नक–7** स्व–घोषणा पत्र		
8	**अनुलग्नक – 8** जेवी/एसपीवी दस्तावेज के अनुसार समझौता (यदि लागू हो)		
9	**अनुलग्नक – 9** EOI घोषणा–पत्र		
10	कंपनी सचिव/अधिकृत प्रतिनिधि के EOI के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मुहर		

नोट :– एजेंसी को प्रस्ताव (उपरोक्त जांच सूची के अनुसार समस्त दस्तावेज) निर्धारित दिनांक व समय तक कार्यालय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1 सहेली मार्ग, उदयपुर में जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नही किया जाएगा और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर मय मुहर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :–

अनुलग्नक – 1

मुख्य पत्र का प्रारूप

(मुख्य पत्र अपने संगठन के लेटरहेड पर एजेंसी का नाम, पंजीकरण संख्या, दिनांक एवं मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।)

सेवामें,

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय :– रोजगार से जुडे प्रशिक्षण कार्यकम रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यकम (जनरल) के लिए सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध।

श्रीमान्,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक .... (EOI की प्रकाशन तिथि) को जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कौशल प्रशिक्षण कार्यकम सूचीबद्ध करने हेतु हमारे द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

हम इसकी पुष्टि करते है कि :

1. EOI में निर्धारित शर्तो के अनुसार.................................... (आवेदक एजेंसी का नाम) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. हमने विस्तार से जांच की और विभाग द्वारा जारी किए गए EOI दस्तावेज और विभाग द्वारा जारी आगामी सूचना में निर्धारित सभी नियमो और शर्तो को समझा है। हम इन सभी नियमों और शर्तो का पालन करने के लिए सहमत है। हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव EOI एवं विभाग द्वारा जारी आगामी संचार में वर्णित सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।
3. हमारे प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्ण है एवं हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और समझ के अनुसार सही है। हम अपने प्रस्ताव में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगे। इस प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी दस्तावेज उनकी संबंधित मूल दस्तावेजो की सत्य प्रतिलिपियां है।
4. विभाग द्वारा हमारे प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने अथवा इस संबंध में किसी भी प्रकार की चुनौती देने के हमार अधिकार को कानून द्वारा अनुमत सीमा तक अस्वीकार करने के अधिकार को हम स्वीकार करते हैं
5. हम कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते है और EOI में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडो को पूरा करते है।
6. यह प्रस्ताव बिना शर्त के है और हम EOI के नियमो ओर शर्तो का पालन करने का पूरा वचन देते है।
7. हम यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भ्रष्ट व्यवहार, कपटपूर्ण व्यवहार, जबरदस्ती प्रथा, अवांछनीय प्रथा या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में लिप्त या एक एंजेट के माध्यम से प्रस्तुत नही कर रहे है।

यह प्रस्ताव प्रशिक्षण केन्द्रो को सूचीबद्ध करने के उद्धेश्य से हमारी रूचि व्यक्त करने के लिए है :–

क्र.स.	जिला	प्रशिक्षण केन्द्रो का नाम व पता	सेक्टर	जॉब रोल/पाठयक्रम	आवासीय/गैर आवासीय	लक्ष्य	कार्य योजना

आधारभुत संरचना, मानव संसाधन साधन और उपकरण, प्लेसमेंट टाई अप और सहायक दस्तावेजो के साथ अन्य आवश्यकताओं के लिए तैयारी योजना विवरण एवं एजेंसी को स्वामित्व दस्तावेज/पट्टा समझौते के रूप में एसडीसी की उपलब्धता का प्रमाण देना चाहिए। प्रस्ताव मूल्यांकन और चयन समिति प्रस्ताव में प्रस्तुत बुनियादी ढांचे के सत्यापन के लिए प्रप्येक संस्थान के परिसर का निरीक्षण भी कर सकती है। दस्तावेजो प्रमाण को संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रो पर भी सत्यापन के लिए उपलब्ध कराना होगा।

इसके साक्ष्य में हम इस प्रस्ताव को EOI दस्तावेज की शर्तो के तहत प्रस्तुत करते है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

अनुलग्नक – 2

आवेदक का विवरण

(एजेंसी/संगठन के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत करें)

क्र.सं.	विवरण	सूचना
1	एजेंसी का संवैधानिक नाम	
2	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
3	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम	
4	सम्पर्क का पता मय मोबाईल नम्बर	
5	एंजेसी का प्रकार (पंजीकृत) (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/प्राईवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सोसाइटी/ट्रस्ट/एसोसिएशन/सरकारी संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्रो की इकाईयो/विश्वविद्यालयो/उच्च शिक्षण संस्थान जिनमें संबद्ध बोर्ड या परिषद की मान्यता या मान्यता रखने वाले तकनीकी और पेशेवर संस्थान शामिल है।)	
6	पंजीकरण संख्या	
7	पंजीकरण की तिथी	
8	पंजीकरण का स्थान	
9	पैन कार्ड नम्बर	
10	ट्रेड लाईसेंस/बिक्री कर पंजीकरण/आई. टी. पंजीकरण/जीएसटीएन	
11	संपर्क के प्राथमिक बिन्दू/व्यक्ति का नाम सभी प्रकार के संचार के उद्देश्य के लिए	
12	दूरभाष एवं ईमेल पता	

हस्ताक्षर मय मुहर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :–

नोट : निम्नानुसार उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।

प्रोपराइटरशिप फर्म के लिए: प्रोपराइटरशिप सर्टिफिकेट ऑफ प्रोपराइटरशिप की चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि।

पार्टनरशिप फर्म के लिए : रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड/पार्टनरशिप सर्टिफिकेट की चाटर्ड एकांउटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि।

सार्वजनिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के लिए : पंजीकरण/निगमन प्रमाण–पत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख की प्रति।

सोसाइटी/ट्रस्टी/एसोसिएशन के लिए : समाज/ट्रस्ट/एसोसिएशन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और कम्पनी के कानून की प्रतिलिपि।

अनुलग्नक — 3

वित्तीय विवरण

(अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ लेटर हेड पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित)

अंकेक्षण वित्तीय विवरणो के आधार पर हम एतत्वार प्रमाणित करते है कि .... (एजेसी का नाम) का औसत वार्षिक कारोबार कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुडे कार्यक्रमों का रू. 15 लाख या उससे अधिक का है। पिछले तीन वर्षो 2017—18, 2018—19 और 2019—20 में कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुडे कार्यक्रमों का निवल मूल्य रू. 15 लाख या उससे अधिक के निवल मूल्य सहित विभिन्न गतिविधियां का वार्षिक कारोबार का विवरण नीचे उल्लेखित है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक आवर्त(Turnover)	निवल मूल्य(Net Worth)
1	2017-18		
2	2018-19		
3	2019-20		
	योग		
	औसत		

नोट :— पिछले तीन वर्षो (2017-18, 2018-19 और 2019-20) के लिए ऑडिटेड बैलेस शीट आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि वार्षिक टर्नओवर और निवल मूल्य का समर्थन करें।

(चार्टर्ड एकाउंटेंट) :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पंजीकरण कमांक :

संपर्क नम्बर :

मुहर

दिनांक :—

अनुलग्नक – 4

प्रशिक्षण केन्द्र विवरण

(एजेंसी / संगठन के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर)

अनुसूचित क्षेत्र में सक्रिय कौशल विकास केन्द्र के लिए :

क्र.सं.	विवरण	केन्द्र –1	केन्द्र –2	केन्द्र –3	केन्द्र –4	केन्द्र –5	संलग्न दस्तावेज
1	जिला						
2	संपर्क सूत्र का नाम, केन्द्र के लिए व्यक्ति और संपर्क विवरण						
3	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम						
4	कक्षाओं की संख्या (केन्द्र की न्यूनतम क्षमता 30 से कम नही होनी चाहिए)						
5	लेब्स की संख्या						
6	अलग वॉशरूम लडको और लडकियों के लिए (हां / नही)						
7	आवासीय सुविधा का पता (यदि लागू हो)						
8	आवास क्षमता – लडके / लडकियां (यदि लागू हो)						

नोटः– कृपया प्रशिक्षण केन्द्र, किराए पर / स्वामित्व समझौते के अनुसार उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में दो फोटो बतौर दस्तावेज साक्ष्य संलग्न करें। प्रशिक्षण केन्द्रो के मामले में, आवासीय सुविधाओं के साथ किचन, डाईनिंग हॉल और लिविंग रूम जैसी सुविधाएं आवासीय आवास के लिए अलग–अलग तस्वीर के जिनमें प्रदान की जानी चाहिए।

हस्ताक्षर मय मुहर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :–

अनुलग्नक – 5

प्रशिक्षण और प्लेसमेंट का विवरण

(संगठन/एजेंसी के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर)

वित्तीय वर्ष	सेक्टर	कुल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रमाणित दस्तावेज	प्रशिक्षित युवाओं को उपलब्ध करवाये गये रोजगार की संख्या	प्रमाणित दस्तावेज
2017–18					
2018–19					
2019–20					

हस्ताक्षर मय मुहर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :–

टिप्पणी– नीचे दिये गये निर्देशानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करें:

आयोजित प्रशिक्षणो के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों मे से किसी की स्व–सत्यापित प्रतियां:

- प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के साथ संबंधित क्षेत्र में समान पद पर, "प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम" के संचालन में अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज (सरकार या प्रदाता एंजेसी द्वारा दी गई सत्यापन योग्य जानकारी के स्व–सत्यापित प्रतिलिपि स्वीकार किए जाएगें)
- प्रस्तावित क्षेत्रो में प्रशिक्षित युवाओं की स्व–सत्यापित विस्तृत सूची

नियुक्त किए गए प्लेसमेंट के लिए निम्नलिखित दस्तावेजो में से किसी की स्व–सत्यापित प्रतियां:

- प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के साथ संबंधित क्षेत्र में समान पद पर, "प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम" के संचालन मे अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज (सरकार या दाता एंजेसी द्वारा दी गई सत्यापन योग्य जानकारी के स्व–सत्यापित प्रतिलिपि स्वीकार किए जाएगें)
- युवाओ और नियोक्ता के नाम, संपर्क विवरण और उम्मीदवार के वेतन के साथ प्रस्तावित क्षेत्रो में रखी गई युवाओं की स्व–सत्यापित विस्तृत सूची।
- संस्थान या एजेंसी से प्रशिक्षुओं के रोजगार की पुष्टि करने वाले नियोक्ता का पत्र स्पष्ट रूप से भर्ती की तारीख, संख्याओं की भर्ती और सेक्टर/कार्य की श्रेणी के सम्बन्ध में दस्तावेज।

अनुलग्नक – 6

ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने का शपथ–पत्र

(एजेंसी के सचिव/प्राधिकृत द्वारा 50/– के गैर–न्यायिक नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

शपथ पत्र

हम..(एजेंसी का नाम मय पूर्ण पता) .... घोषित करते है कि आवेदक को किसी भी दाता एजेंसी/राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम आदि के द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी या किसी भी अन्य क्रियाकलाप के सम्बन्ध में कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

हस्ताक्षर मय मुहर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :–

अनुलग्नक – 7

स्व–घोषणा पत्र

(एजेंसी / संगठन के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर)

पंजीकरण दस्तावेज / प्रमाण पत्र के आधार पर हम मैसर्स ....(एजेंसी का नाम मय पता), एनएसडीसी के कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जारी EOI में के अनुसार निम्नलिखित के लिए हमारी सहमति मिलती है।

1. प्रस्तावित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान, फर्नीचर उपकरण प्रशिक्षण सहायक कच्चा माल बिजली पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
2. प्रशिक्षण के बाद जहां कही भी वेतन आधारित रोजगार / स्व–रोजगार उपलब्ध हो सके, उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को कॉउन्सलिंग प्रदान कर मोबलाईज करना।
3. प्रशिक्षणार्थियों के हर बैच के लिए वर्दी के एक सेट की व्यवस्था करना।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम और योग्य प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों को नियुक्त करना।
5. कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) तथा हॉस्टल (यदि लागू हो) में दैनिक उपस्थिति (अंदर और बाहर) के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेस सिस्टम स्थापित करने के लिए।
6. संबंधित सेक्टर स्किल कॉउन्सिल (एसएससी) / एनसीवीटी के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं के मुल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था करना।
7. रोजगार से जोडे गए प्रशिक्षित युवाओं की 1 वर्ष की अवधि तक ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
8. कौशल विकास केन्द्रो की स्थापना तथा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए व्यय सहित प्रशिक्षण का समस्त रिकॉर्ड 3 वर्ष तक बनाए रखने के लिए।
9. RSLDC का वर्तमान प्रशिक्षण प्रदाता नही है।

हस्ताक्षर मय मुहर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :–

अनुलग्नक – 8

संयुक्त वेंचर्स/कंसोर्टियम आवेदकों के लिए नियम और शर्ते

1. कंसोर्टियम दो पीआईए के बीच एक कानूनी समझौते पर आधारित होगा जहां कंसोर्टियम के लीड सदस्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हो।
2. लीड सदस्य परियोजना के लिए पूरी वित्तीय जिम्मेदारी वहन करेगा, जिसमें परियोजना की किसी भी चूक या विचलन के मामले में सरकार की मांग/वसूली पूरी होनी चाहिए या जिसके लिए मंजूरी के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ है।
3. परियोजना के स्वीकृत होने के बाद लीड सदस्य परियोजना से Withdraw नही कर सकता है। परियोजना के संचालन के लिए अनुमोदन आदेश के अनुसार सभी प्रतिबद्धताए लीड सदस्य द्वारा पूरी की जानी चाहिए यदि PIA आवेदक ऐसा करने में विफल रहता है।
4. लीड सदस्य अन्य सदस्य की क्षमताओं को भी विकसित करने का कार्य करेगा।
5. लीड सदस्य दिशा–निर्देशों के संदर्भ में सभी वित्तीय पात्रता मानदंडो को भी पूरा करेगा।
6. आवेदक पीआईए अनुमोदन के अनुसार परियोजना के संचालन के लिए जिम्मेदान होगा।
7. इस परियोजना को आवेदक पीआईए के नाम से मंजूरी दी जाएगी, और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि परियोजना को संघ के रूप में लिया जा रहा है।
8. कंसोर्टियम में सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया जाना हैं
9. लीड सदस्य का निरीक्षण तंत्र स्पष्ट और पर्याप्त होना चाहिए।
10. दोनों कंसोर्टियम के सदस्य भविष्य की परियोजनाओं में वर्गीकरण के लिए एक कंसोर्टियम के तहत किए गए काम के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते है।

अनुलग्नक – 9

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :--

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

नोट – राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1988 की धारा सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा–पत्र पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। उक्त घोषणा–पत्र वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के अनुसरण में प्रस्तुत किया जावेगा।